

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :- अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- 52/16-19

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गजेन्द्र कुं. कास्की वा अंचल निरीक्षक श्री गोपबन्धु दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पुडुवा थाना नं0 692 गैरमजरुआ खाता नं0 24/59 दाग नं0 32 रकवा 00-08-00 किस्म पत्ती बरोस श्री जाल विहारी सिंह पिता विष्णनाथ सिंह साकिन.....के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री जाल विहारी सिंह को दिनांक 29/5/16 समय पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

ब
थाना 16
अंचल अधिकारी,
महागामा।

अभिलेख संख्या 52/16-19

29.7.16

अभिलेख उपस्थापित।

~~जाल विहारी सिंह~~ के विष्णनाथ सिंह के

अर्द्ध श्यात्राकांत सिंह पेटव. विष्णनाथ सिंह उपस्थित।

अग्नि प्राप्त करने के संबंध में Rent fixation से

संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है अभिलेख

दिनांक 04-08-2016 से उपस्थापित करें। हल्का कर्मचारी

उदिनों के अंदर जाँच प्रतिवेदन दे डि प्रस्तुत अग्नि

बिंदी हुआ है या नहीं।

sandha

29/7/16

11/11/16 अजिलेख उपलवापि। इयमाकां सिंह उपलवा। चौदासिन परा
अन्य कार्य में हस्त। अजिलेख 11/11/16 को रखें।

11/11/16
अं. 30/30

11/11/16 अजिलेख उपलवापि। इयमाकां सिंह उपलवा। यलाके उपलवा।
अजिलेख दिनांक 21/11/16 को रखें।

11/11/16
अं. 30/31

31/11/20
28/11/18

अजिलेख उपलवापि।
श्री: मोहित निर्गत में।

अंचल अधिकारी
महागामा

31/11/18

05. 01. 2021

अजिलेख उपलवापि।
राजस्व उपनिरीक्षक-एच. प्रभाती अंचल निरीक्षक, महागामा
से प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के साथ अजिलेखी
प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसका अवलोकन किया।
प्रतिवेदना द्वारा अवैध लकड़खाने पंजी-11 रेलवे को -
वसुधम पराधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त
भूमि ECL क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत
है। अतः उपरोक्त के आशोक में अजिलेख की
कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापि
अं. 30/30
महागामा

अंचल अधिकारी
महागामा

31/11/18